(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
भूमि एवं भवन विभाग
विकास भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 06/12/2023

फा0 सं0 9(34)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/ : गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740 (ई) के साथ पठित दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस0ओ0 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप–नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल मैदानगढ़ी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क निर्माण करने के जन प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन रखते हैं। इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि खसरा सं0 442 कुल मापन क्षेत्र 2525.08 वर्ग मी0 मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट मे है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002 को, दिनांक 06/12/2023 की अधिसूचना फा0 सं0 फा0 सं0 9(34)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/7846 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन–सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर तथा जिला कलेक्टर (दक्षिण), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना–पत्र एवं जन–सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(अशोक कुमार यादव)
उप–सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा0 सं0 9(34)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/ 7857-67 दिनांक 06/12/2023

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारितः–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजनिवास, दिल्ली–110054
2. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पांचवा–तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002
3. सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली–110002 (प्रतिलिपि में) को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
4. निजी सचिव, मण्डलीय आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 5, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली–110054
5. निजी सचिव,, अपर मुख्य सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली–110002
6. जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय–1), राजस्व विभाग, 5, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली–110054
7. जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली–110068
8. निदेशक (एलएम), डी.डी.ए., विकास सदन, नई दिल्ली–110023
9. प्रोफेसर के.के. पाण्डेय, संयोजक, (सीयूएस), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली 110002
10. अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली–110068
11. प्रणाली विश्लेषक (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(अशोक कुमार यादव)
उप–सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार